

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

परिशोधन प्रार्थना—पत्र संख्या—16/2016/हनुमानगढ़।
(सम्बन्धित अपील संख्या—2538/2011/हनुमानगढ़)

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर.अपीलार्थी (अप्रार्थी).

बनाम

मैसर्स चड्ढा वैरायटी स्टोर, हनुमानगढ़.

.....प्रत्यर्थी (प्रार्थी)।

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित :

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक

.....प्रार्थी की ओर से।

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक : 28/03/2017

निर्णय

1. यह परिशोधन प्रार्थना—पत्र प्रार्थी (प्रत्यर्थी) मैसर्स चड्ढा वैरायटी स्टोर, हनुमानगढ़ द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 2538/2011/हनुमानगढ़ में एकलपीठ द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 18.11.2014 में संशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना—पत्र में लिखित एवं मौखिक रूप से यह आधार बताये गये हैं कि प्रार्थी व्यवहारी के दिनांक 27.05.2008 को वेट अधिनियम की धारा 75 के तहत सर्वेक्षण करने के पश्चात् एवं सुनवाई के पश्चात् व्यवसाय स्थल पर पाये गये लूज पेपर्स में की गई खरीद-बिक्री जो नियमित बहियात में अंकित नहीं थी उसका स्पष्टीकरण दिये जाने के बावजूद भी कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 20.11.2008 में कुल रूपये 8,16,197/- की मांग सृजित की गई थी जिसमें छिपाई गई बिक्री पर कर एवं ब्याज तथा वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति भी सम्मिलित थी। कर निर्धारण आदेश के विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार कर, कर निर्धारण आदेश को अपास्त किया गया था परन्तु उस अपीलीय आदेश में तथ्यों के गुणावगुण पर कोई व्याख्या एवं विश्लेषण नहीं किया गया था बल्कि प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के आधार पर कर निर्धारण आदेश अपास्त किया गया था। अपीलीय अधिकारी के निर्णय दिनांक 26.05.2011 के विरुद्ध माननीय राजस्थान कर बोर्ड में अपील की जाने पर माननीय एकलपीठ द्वारा दिनांक 18.11.2014 को निर्णय किया गया तथा राजस्व की अपील स्वीकार कर पूरे प्रकरण को पुनः जांच हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया था।

लगातार.....2

3. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया है कि माननीय राजस्थान कर बोर्ड के आदेश में रेकॉर्ड से परिलक्षित भूल की गई है वह यह है कि प्रथमतः जो कर निर्धारण आदेश प्रथम बार दिनांक 20.11.2008 को पारित किया गया था वह बाद में नियमित कर निर्धारण आदेश में समाहित हो गया था, अतः दिनांक 26.05.2011 का अपीलीय आदेश सारहीन हो गया था। इसके अलावा यह त्रुटि बताई गई कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील निर्णय में केवल विधिक प्रश्नों के निर्णय करते हुए अपील स्वीकार की गई थी परन्तु उनके द्वारा तथ्यों के मामले में कोई निर्णय नहीं दिया गया था। ऐसी स्थिति में माननीय कर बोर्ड द्वारा प्रकरण को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित नहीं कर अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिये था। प्रार्थी की ओर से यह भी त्रुटि बताई गई कि अभिग्रहित लूज पेपर्स का कोई सीजर मीमो नहीं दिया गया था तथा जांच अधिकारी द्वारा व्यवहारी का सर्वे किये जाने के प्रयोजनार्थ अधिसूचना दिनांक 27.05.1997 के अनुसार सम्बन्धित उपायुक्त (प्रशासन) से अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी एवं बिना अनुमति लिये ही किया गया सर्वे अविधिक था परन्तु इसके बावजूद भी माननीय कर बोर्ड ने इसे विधिसम्मत मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया। इसी तरह सर्वे में स्वतंत्र गवाह नहीं होने सम्बन्धी तर्क पर विचार नहीं किया जाना बताया। उक्तानुसार माननीय कर बोर्ड के आदेश को उचित विवेचन एवं विधिक प्रावधानों की दृष्टि से नहीं किया जाना बताते हुए इसे संशोधित करने का आग्रह किया।

4. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रार्थी व्यवहारी की ओर से वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत जो प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया है वह इस धारा के प्रावधानों के तहत विचारणीय नहीं है क्योंकि प्रस्तुत आधारों में ऐसी कोई विषयवस्तु नहीं बताई गई है जिससे माननीय कर बोर्ड के आदेश में त्रुटि होना जाहिर हो बल्कि माननीय कर बोर्ड ने सभी बिन्दुओं पर विवेचन करते हुए पूर्ण विवेचित आदेश पारित किया है जिसमें संशोधन करने का कोई आधार नहीं है बल्कि अप्रार्थी की ओर से दिया गया आवेदन पूरे आदेश को रिव्यू करने के लिये किया गया आवेदन है जो वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत चलने योग्य नहीं है अतः खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र तथा माननीय कर बोर्ड के आदेश दिनांक 18.12.2014 का अध्ययन किया गया।

लगातार.....3

6. प्रार्थी की ओर से बहस के दौरान मुख्य रूप से दो बिन्दुओं पर बल दिया गया है कि माननीय कर बोर्ड द्वारा प्रकरण को पुनः जांच हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करना त्रुटिपूर्ण है क्योंकि यह प्रतिप्रेषण अपीलीय अधिकारी को किया जाना चाहिये था जिससे उन्हें अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त हो सके। दूसरा बिन्दु यह लिया गया है कि जांच अधिकारी द्वारा किया गया सर्वेक्षण उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा दी जाने वाली अनिवार्य अनुमति के बिना किया गया है एवं अधिसूचना क्रमांक एफ.3(ए)(6)टैक्स/सीसीटी/97/11 दिनांक 27.05.1997 के अनुसार सर्वेक्षण के पूर्व उपायुक्त (प्रशासन) की अनुमति लिया जाना बाध्यकारी था। इस आधार पर भी माननीय राजस्थान कर बोर्ड का आदेश त्रुटिपूर्ण बताया है। प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र के सन्दर्भ में प्रथमतः यह पाया कि माननीय कर बोर्ड ने विभाग एवं प्रार्थी व्यवहारी की सुनवाई के पश्चात् विधिक एवं न्यायिक विवेचन के साथ जिसमें तथ्यों और विधिक प्रावधानों को मद्देनजर रखते हुए प्रत्येक बिन्दु पर निर्णय दिया है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा समुचित जांच नहीं किया जाना पाया जाने से सर्वप्रथम उसकी जांच कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया जाना अनिवार्य होने से उन्हें प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है एवं न ही यह कोई रेकॉर्ड से परिलक्षित भूल की श्रेणी में सम्मिलित योग्य है। इसी तरह सर्वेक्षण के लिये अनुमति प्राप्त करने की आपत्ति पर भी माननीय कर बोर्ड द्वारा अपने आदेश में विवेचना करते हुए की गई कार्यवाही को उचित मानकर निर्णय दिया है इस तरह माननीय कर बोर्ड द्वारा प्रत्येक बिन्दु पर विवेचित निर्णय किया गया है जिसमें किसी भी तरह की ऐसी त्रुटि नहीं है जो रेकॉर्ड से परिलक्षित हो या जिसे त्रुटि कहा जा सके बल्कि यह माननीय कर बोर्ड का पूर्ण विचार के पश्चात् पारित किया गया आदेश है जिसमें किसी भी तरह का संशोधन करने का कोई आधार नहीं है बल्कि पूरे प्रकरण को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर न्यायहित में पूरी जांच एवं सुनवाई करने के निर्देश दिये गये हैं।

7. इस सम्बन्ध में वेट अधिनियम की धारा 33 का अवलोकन आवश्यक है, जो निम्न प्रकार है :—

Section 33. Rectification of a mistake.—

- (1) With a view to rectifying any mistake apparent from the record, any officer appointed or any authority constituted under this Act may rectify *suo motu* or otherwise any order passed by him.

लगातार.....4

Explanation. – A mistake apparent from the record shall include an order which was valid when it was made and is subsequently rendered invalid by an amendment of the law having retrospective operation or by a judgment of the Supreme Court, the Rajasthan High Court or the Rajasthan Tax Board.

- (2) No application for rectification shall be filed under sub-section (1) after the expiry of a period of three years from the date of the order sought to be rectified.
- (3) Where an application under sub-section (1) is presented to the assessing authority and a receipt thereof is obtained, it shall be disposed of within a period of one year from the date of presentation and where such application is not disposed of within the said period, the same shall be deemed to have been accepted.

8. उक्त धारा में केवल वे आदेश ही परिशोधन योग्य हैं जिनमें किसी भी तरह से ऐसीं गलती जो रेकॉर्ड से परिलक्षित हो, जबकि प्रार्थी द्वारा अभिलेखों में भूल नहीं दर्शाकर माननीय कर बोर्ड के आदेश को पुनः गुणदोष के आधार पर संशोधित करने का अनुरोध किया है जो धारा 33 में अनुमत नहीं है। इस सम्बन्ध में पूर्व अधिनियम, राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 37, जो वेट अधिनियम की धारा 33 के समकक्ष है, में माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा किये गये निर्णय को बाद में संशोधित किये जाने को माननीय उच्चतम न्यायालय के सिविल अपील संख्या 2692/2011 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मैकड़ प्लास्टिक एजेन्सीज में पारित निर्णय दिनांक 29.3.2011 [(2011) 29 टैक्स अपडेट 253] के आलोक में विधिविरुद्ध बताते हुए ऐसे संशोधन किये जाने को अविधिक बताया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त न्यायिक दृष्टान्त में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 37/33 के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग अभिलेख से प्रकट भूल की स्थिति में ही किया जा सकता है। समस्त अभिलेख का पुनर्मूल्यांकन इस धारा के अधीन अनुज्ञेय नहीं है। निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :–

"18. Section 37 of the Act of 1994 provides for a power to rectify any mistake apparent on the record. Such power is vested on the authority to rectify an obvious mistake which is apparent on the face of the records and for which a re appreciation of the entire records is neither possible nor called for. When the subsequent order dated 22.01.2009 passed by the Taxation Board is analysed and scrutinised it would be clear/apparent that the Taxation Board while passing that order exceeded its



jurisdiction by re appreciating the evidence on record and holding that there was no mala fide intention on the part of assessee respondent for tax evasion. Such re-appreciation of the evidence to come to a contrary finding was not available under Section 37 of the Act of 1994 while exercising the power of rectification of error apparent on the face of the records.

Thus, the order passed by the Taxation Board on 22.1.2009 as also the impugned order and judgment passed by the High Court upholding the said order of the Taxation Board are hereby set aside and quashed and the original order passed by the Assessing Officer is restored."

9. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट अभिनिर्धारित किया जा चुका है कि संशोधन के प्रावधानों के तहत किसी त्रुटि को दुरुस्त किया जा सकता है परन्तु पूरे तथ्यों एवं विधि पर पुनर्विचार करके नवीन निर्णय पारित नहीं किया जा सकता। अतः अपीलार्थी के परिशोधन प्रार्थना—पत्र को अस्वीकार किया जाता है।
10. माननीय राजस्थान कर बोर्ड द्वारा प्रकरण को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर पुनः जांच एवं समुचित सुनवाई का अवसर दिये जाने के जो निर्देश दिये गये थे उसमें कोई त्रुटि नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपना पक्ष कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पेश करें।
11. फलतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किया जाता है।
12. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन) ३०/३/२०१८
सदस्य